न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 225 / 2021 अपील / डूंगरपुर (GCMS 2021/245)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 15.09.2021

1. श्री मांगीलाल पिता धुला ढ़ोली, निवासी हरवा पछोर, पटवार मण्डल बड़गामा, तहसील सागवाडा, जिला डूगरपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री मरता पिता भगवानजी रोत, निवासी हरवा पछोर, पटवार मण्डल बड़गामा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर।
2. श्री हाजिया पिता भगवानजी रोत, निवासी हरवा पछोर, पटवार मण्डल बड़गामा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर।
3. श्री देवीलाल पिता गटुजी रोत, निवासी हरवा पछोर, पटवार मण्डल बड़गामा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर।
4. श्री गणेश पिता भगवानजी रोत निवासी हरवा पछोर, पटवार मण्डल बड़गामा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर।
5. श्री हुरजी पिता धुला रोत निवासी हरवा पछोर, पटवार मण्डल बड़गामा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर।
6. श्री नानुराम पिता वजा रोत निवासी हरवा पछोर, पटवार मण्डल बड़गामा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर।
7. भूमिधारी तहसीलदार, सागवाडा, जिला डूंगरपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री भुरालाल डांगी – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रकाश पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के
प्रकरण संख्या 18 / 2020 निर्णय दिनांक 10.02.2021

निर्णय

दिनांक 15.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 18/2020 निर्णय दिनांक 10.02.2021 के विरूद्ध दिनांक 08.04.2021 को इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण व अपीलांट/विपक्षी हरपा पछोर के निवासी होकर गांव हरवा पछोर का खसरा नम्बर 305 चारागाह भूमि है। उपरोक्त भूमि पर अपीलांट/विपक्षी का कभी कब्जा नही रहा है, इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा 35 वर्ष का कब्जा मानते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान में 2100/– रूपये जमा लेकर उसके नाम पर नियमन किया गया है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया कि उच्चतर न्यायालयों के अपने निर्णयों में यह उल्लेख है कि चारागाह भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है तथा सार्वजनिक उपयोग के अलावा किसी भी व्यक्ति के नाम पर नियमन नही किया जा सकता है। नामांतरकरण संख्या 623 जो अपीलांट/विपक्षी मांगीलाल के पिता के नाम पर खोला गया है जो गलत खोला गया है। एवं अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए अंकित किया गया है कि नियमन के संबध में पारित आदेश एवं नामांतरकरण को निरस्त किया जावें। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 18/2020 दर्ज कर निर्णय दिनांक 10.02.2021 से रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– *"प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रशासन गांवों के संग*

अभियान 2010 ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलिया बडगामा पर दिनांक 07.12.2010 को आयोजित शिविर में धुला पिता खेमा, जाति ढ़ोली, निवासी बड़गामा के मौजा बड़गामा के खसरा संख्या 305 किस्म चरागाह में रकबा 3 बिघा के नियमन का निर्णय तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2010 को जारी रकम वसूली के आदेश तथा नामांतरकरण संख्या 623 मौजा बड़गामा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर को निरस्त किया जाता है तथा विपक्षी या उसके पिता का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर भूमि को पुनः चारागाह दर्ज किए जाने आदेश पारित किया जाता"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री भुरालाल डांगी उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को जो भूमि आवंटन की गई व आवंटन नियमों के अंतर्गत की गई है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट के बाप दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा था। उक्त भूमि का अपीलांट व उसके परिवार उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा ऐलोटमेंट कमेटी द्वारा आवंटन ग्राम सभा में सभी ग्रामवासियों कि मौजूदगी में किया गया है एवं आवंटन भूमि में बाड लगी हुई है, इसमे तीन मकान बने हुए है, एक पक्का मकान, एक कच्चा मकान, एक इटों का मकान एवं एक बोर कुंआ खुदवाया हुआ है तथा आवंटन भूमि को काफी मेहनत मजदुरी

कर काश्त योग्य बनाई है उक्त आवंटन भूमि के आस–पास रेस्पोडेंट्स की कोई भूमि नही होते हुए एवं प्रार्थी के मकानात बने होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी बताया कि अपीलांट गरीब काश्तकार होकर ढ़ोली जाति से है तथा अनपढ़ है कृषि के अलावा कोई भी आय का स्त्रोत नही है तथा उक्त 3 बीघा पर खेती कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करते है, ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त होने से अपीलांट को काफी आर्थिक क्षति हो रही है। अतः साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 6 ने अपनी बहस में बताया की गांव हरवा पछोर का खसरा नम्बर 305 चारागाह भूमि है। उपरोक्त भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा नही रहा है, इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा 35 वर्ष का कब्जा मानते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान में 2100/– रूपये जमा लेकर उसके नाम पर नियमन किया गया है। उच्चतर न्यायालयों के अपने निर्णयों में यह उल्लेख है कि चारागाह भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है तथा सार्वजनिक उपयोग के अलावा किसी भी व्यक्ति के नाम पर नियमन नही किया जा सकता है। नामांतरकरण संख्या 623 जो अपीलांट मांगीलाल के पिता के नाम पर खोला गया था, जो गलत खोला गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 10.02.2021 से पारित निर्णय

नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी के आवेदन के आधार पर अपीलाण्ट प्रार्थी के पिता को चारागाह भूमि में किये गये आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन स्वीकार कर धूलाजी को गांव हरवा की आराजी नं0 305 किस्म चारागाह में से 3 बीघा के नियमन का उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 14.12.2010 निरस्त करते हुए नियमन निरस्त किया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट ने दौराने अपील आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत करते हुए अस्थायी कृषि संबंधी सम्वत् 2033, 2034, 2035, 2041, 2052, 2058, 2063, 2064 व 2067 के खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत किये हैं। राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां होने से उक्त आवंदन स्वीकार कर सुसंगत होने से इन दस्तावेजात को रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। प्रकरण में उभय पक्षों की सुनी गयी बहस व पत्रावली के रेकर्ड के आधार पर अपीलाण्ट के दौराने बहस तथा अपील मेमों में लिखे गये उजरात के आधार पर हम अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं।

अपीलाण्ट का सर्वप्रथम उज्र यह है कि शिविर के दौरान 07.12.2010 को राजस्थार सरकार के परिपत्रों के क्रम में चारागाह भूमि का नियमन अपीलाण्ट को किया गया था, जिसे बिना विधिवत् विवेचन के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर आख्यापक विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार भी चारागाह भूमि पर नियमन सन् 1970–72 से

पूर्व के निरन्तर कब्जों के आधार पर किये जाने का आदेश है। प्रकरण में नियमन आदेश जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है, उसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा भू–आवंटन समिति में जो प्रकरण रखा गया, उसमें यह वर्णित किया गया है कि संबंधित नियमन 01.01.1970 से पूर्व का निरन्तर निर्बाध होने के आधार पर किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन व अपीलाण्ट के भारसिद्ध उक्त दावे के सन्दर्भ में 1 जनवरी, 1970 से पूर्व का लगातार कब्जा होना प्रमाणित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा दौराने अपील भी जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उससे उसके द्वारा सर्वाधिक पुरानी सम्वत् 2033 यानि 1976 की खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत की है एवं इसके पश्चात् की भी जो प्रस्तुत की है, उससे निरन्तर कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता। तद्नुसार चारागाह भूमि पर राज्य सरकार के निर्देशों को भी दृष्टिगत रखा जावें तो भी उक्त परिपत्र के अनुसार भी अपीलाण्ट चारागाह भूमि की नियमन की पात्रता नहीं रखता एवं इससे भी अधिक यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगतपाल के रूप में चारागाह भूमि का निजी प्रयोजनार्थ नियमन पर पूर्ण रोक लगा दी गयी है। अतः ऐसे नियमनों को कदापि मान्यता नहीं दी जा सकती व इस प्रकरण में तो कदापि मान्यता नहीं दी जा सकती व इस प्रकरण में राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में भी यदि नियमन किया गया तो भी उक्त परिपत्र के अनुसार आवेदक अपीलाण्ट के पिता पात्रता रखता हो, यह स्पष्ट नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् निरस्तीकरण का आवेदन पेश किया गया जो कि इर्ष्यावश पेश किया गया है।

आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अनुसार पूर्णतया स्पष्ट है कि धोखे एवं **Misrepresentation** से प्राप्त आवंटन को

कभी भी किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है। इस नियमन के सन्दर्भ में आवेदक की यथानिर्धारित पात्रता ही नहीं है तो उसे किये गये आवंटन को रखे जाने का कोई औचित्य ही नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि उसने 10 वर्ष में भूमि को उपजाउ बनाया है एवं उस पर लागत लगायी है।

हम अपीलाण्ट के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि यदि विधि अनुसार किसी भी भूमि को धारण करने की कोई पात्रता ही नहीं रखता हो तो उसे वह भूमि आवंटन/नियमन कर दी जाये तो ऐसे नियमन पर उसके द्वारा कोई व्यय किया जाए, तो उसके आधार पर आवंटन/नियमन की वैद्यता नहीं बनती एवं तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पिता को किये गये आवंटन को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं की है अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर